राजस्व विविध GCMS नंबर 2025/769 बअनवान कमलजीतसिंह वगैरा बनाम देवाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र रिव्यू आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12/12/25	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू आदेश हेतु पेश करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण राजस्व विविध जीसीएमएस संख्या 2024/382 अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 13.05.2025 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश में रास्ते का सही माप 72 मीटर बाई 9 मीटर के स्थान पर त्रुटिवश रास्ते का माप 88 मीटर बाई 9 मीटर लिखा गया है जो गलत है जिसके कारण उपरोक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने में दुविधा उत्पन्न होने से त्रुटि को सुधारने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन के पश्चात धारा 151, 152 सीपीसी के तहत न्यायालय द्वारा राजस्व विविध जीसीएमएस संख्या 2024/382 अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 13.05.2025 में पारित आदेश में त्रुटिवश रास्ते का माप 88 मीटर बाई 9 मीटर के स्थान पर सही माप 72 मीटर बाई 9 मीटर के संशोधन के आदेश दिये जाते है। इस संशोधित आदेश को प्रकरण राजस्व विविध जीसीएमएस संख्या 2024/382 अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 13.05.2025 को पारित आदेश की निरंतरता में पढा जावे। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) 12/12 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	